प्रकाशन हेतु अनुमोदित

एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या: 3956/2005

याचिकाकर्ता:

हरीराम यदु, पुत्र ठाकुर राम यदु, उम्र लगभग 19 वर्ष,

निवासी: एवीई–ई–1/सी,

ओल्ड रशियन ब्लॉक, सेक्टर–6,

भिलाई नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरदातागण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निदेशक, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी प्रणाली विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
3. स्वायत्त शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), द्वारा: डीन/प्रधानाचार्य, रायपुर (छ.ग.)
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.)
5. कु. गीता चौधरी, प्राप्तांक: 261, द्वारा: डीन/प्रधानाचार्य, स्वायत्त शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर रिट याचिका

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

रिट याचिका क्रमांक: 3956/2005

याचिकाकर्ता:

हरीराम यदु

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य
2. निदेशक, भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी प्रणाली विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. स्वायत्त शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) — द्वारा डीन
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.)
5. कु. गीता चौधरी — द्वारा डीन, स्वायत्त शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

उत्तरदातागणकी ओर से: श्री सुमेश बजाज, उप महाधिवक्ता

<u>आदेश</u>

<u>(दिनांक 25/11/2005 को पारित)</u>

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत इसलिए दायर की है क्योंकि उत्तरदातागणक्रमांक 3 — संस्था द्वारा उसे सत्र 2005-06 की प्रथम वर्ष बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश उन अभ्यर्थियों को दिया जाना था जिन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 वीं की परीक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में प्राप्त अंक के आधार पर दिया जाना था प्राप्त किए हों। तथापि, याचिकाकर्ता के आवेदन पर केवल

इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उसने कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं की थी, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए विज्ञापन परिशिष्ट पी/1 के खंड 9(ख)(2) के अनुसार आवश्यक थी, जिसके माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

3. याचिकाकर्ता ने सन् 2002–03 में कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसमें उसने उपर्युक्त विषयों में 87% से अधिक अंक प्राप्त किए थे क्योंकि उसने कुल 300 में से 262 अंक अर्जित किए थे। आगे यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) श्रेणी से संबंधित है और उसने इस प्रयोजन के लिए परिशिष्ट पी/7 का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उसने परिशिष्ट पी/12 के तहत जन्म प्रमाण पत्र जो कि मुख्य पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी किया गया था तथा परिशिष्ट पी/11 का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, एवं परिशिष्ट पी/13 के अंतर्गत ₹335/– की राशि का बैंक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 27 सितम्बर 1986 आवेदन पत्र में, परिशिष्ट पी/12 के प्रमाण पत्र में, परिशिष्ट पी/10 के हलफनामे में तथा परिशिष्ट पी/11 के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित थी। तथापि, याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसने कक्षा 10 वीं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने कक्षा 10 वीं की अंकसूची (हाई स्कूल मार्कशीट) दस्तावेज़ "बी" के रूप में अभिलेख पर लिए जाने हेतु एक आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ओ.बी.सी. श्रेणी के छात्रों को, जिन्होंने 261 अंक प्राप्त किए थे तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को, जिन्होंने 267 अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश दे दिया गया है, किन्तु याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित कर दिया गया जबकि वह प्रवेश के लिए योग्य था। जब याचिकाकर्ता के पिता ने जानकारी प्राप्त की तो उन्हें सूचित किया गया कि 17 अगस्त 2005 को परामशे पत्र उन सभी छात्रों को भेजे जा रहे हैं जिन्होंने सामान्य वर्ग में 254 से अधिक अंक तथा ओ.बी.सी. वर्ग में 250 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह ₹4,300/– का बैंक ड्राफ्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रतिवादियों से संपर्क करें, और उस स्थिति में उसी दिन उसे परामर्श पत्र जारी कर दिया जाएगा। उपरोक्त आश्वासन के पालन में, याचिकाकर्ता और उसके पिता संबंधित अधिकारियों के पास ₹4,300/– के बैंक ड्राफ्ट के साथ पहुंचे। किन्तु उस दिन उन्हें सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता का आवेदन पहले ही इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि उसने अपने आवेदन के साथ कक्षा 10 वीं की अंकसूची संलग्न नहीं की थी। यह तर्क दिया गया कि अन्य आवेदकों को जिन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, उन्हें काउंसलिंग के बाद यह दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, परंतु याचिकाकर्ता को अपनी त्रुटि सुधारने का अवसर नहीं दिया गया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता विज्ञापन के खंड 9 द्वारा भ्रमित हो गया, जिसमें यह उल्लेख था कि आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक/हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, और चूंकि याचिकाकर्ता ने 10+ 2 परीक्षा की अंकसूची प्रस्तुत की थी, अतः उसने सद्भावपूर्वक हुई त्रुटि के कारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने परिशिष्ट–'बी' के रूप में हाई स्कूल प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें जन्मतिथि 27.09.1986 भी उल्लिखित है, और इस प्रकार वह प्रवेश के लिए पात्र था।

6. दूसरी ओर, उत्तरदातागणक्रमांक 1 से 4 की ओर से दायर प्रत्युत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि परिशिष्ट पी/1 के विज्ञापन के खंड–9 के अनुसार, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं और आवेदकों को आयु प्रमाणपत्र, अर्थात मैट्रिक/हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल की अंकसूची प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसमें अभ्यर्थी की आयु का उल्लेख हो, क्योंकि आयु की पात्रता के निर्धारण हेतु यह आवश्यक था कि अभ्यर्थी की आयु 31 दिसम्बर 2005 को 17 वर्ष से अधिक हो। विज्ञापन के अंत में खंड–6 के नोट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि आवेदन पत्र सभी पहलुओं में पूर्ण नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रत्युत्तर में आगे प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी स्नातक प्रवेश नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम 2003") के अनुसार परिशिष्ट र/1 के अंतर्गत दिया जाता है और उक्त नियमों के नियम 3 के उप–नियम 4 में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी की आयु 31 दिसम्बर 2005 को 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और आयु के निर्धारण हेतु उपर्युक्त प्रमाणपत्र आवश्यक हैं जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।

7. उत्तरदाताओ ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करते समय कुल आठ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे, जिसमें उसका आवेदन पत्र भी शामिल है। प्रत्युत्तर के अनुच्छेद 6 में उन दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता ने परिशिष्ट पी/11 का स्थानांतरण प्रमाणपत्र एवं परिशिष्ट पी/12 का जन्म प्रमाणपत्र संलग्न किया था। याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 15.07.2005 को क्रमांक 410 पर उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है जिसे उत्तरदातागणद्वारा संधारित किया जा रहा है। यह रजिस्टर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों का विवरण दर्ज करने हेतु रखा गया है, और इस दस्तावेज़ के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा परिशिष्ट पी/12 का कोई भी प्रमाणपत्र, जैसा कि दावा किया गया है, कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि छानबीन समिति द्वारा 79 आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपूर्ण थे। उन अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट आर/3 के रूप में संलग्न की गई है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने प्रवेश का मामला स्थापित करने में विफल रहा है, अतः उसे 2003 के नियमों तथा परिशिष्ट पी/3 के विज्ञापन के अनुसार विधिपूर्वक प्रवेश से वंचित किया गया है, और चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में न तो विज्ञापन और न ही नियमों को चुनौती दी गई है, अतः याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना है।

9. पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यवेदन और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर जो निर्विवादित तथ्य सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैं:

a) कि वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल से भौतिकी, रसायन तथा जीवविज्ञान विषयों के साथ 10+ 2 परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्होंने 31 दिसम्बर 2005 को 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, वे प्रवेश के लिए पात्र थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

b) कि पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, उपरोक्त विषयों में कक्षा 12 वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जानी थी।

c) कि अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुच्छेद–9(ख) में वर्णित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जिसके अनुसार अन्य दस्तावेजों के अलावा आयु से संबंधित प्रमाणपत्र, जैसे कि मैट्रिक/हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

d) कि याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया, किन्तु उसने हाई स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

e) कि याचिकाकर्ता, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) से संबंधित है, ने भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में कुल 300 में से 262 अंक प्राप्त किए।

f) कि याचिकाकर्ता का आवेदन बोर्ड द्वारा इस आधार पर विचाराधीन नहीं किया गया कि उसने आयु प्रमाणपत्र तथा कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं की थी और उसे 17 अगस्त 2005 को आयोजित की जाने वाली परामर्श के लिए बुलावा पत्र नहीं भेजा गया।

g) कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में तथा परिशिष्ट पी/10 के हलफनामे में अपनी जन्म तिथि 27 सितम्बर 1986 अंकित की थी।

10. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में से जो प्रतिवादियों द्वारा खंडित नहीं किए गए, वे इस प्रकार हैं:

a) कि परिशिष्ट "बी" की कक्षा 10 वीं की अंकसूची (जो दाखिल नहीं की गई थी) के अनुसार जन्म तिथि 27 अगस्त 1986 है।

b) कि याचिकाकर्ता के पिता ने ₹4,300/– का बैंक ड्राफ्ट उत्तरदातागणक्रमांक 3 के नाम पर दिनांक 06.08.2005 को परिशिष्ट पी/14 के अनुसार बनवाया था।

c) कि याचिकाकर्ता अपने पिता के साथ दिनांक 17.08.2005 को प्रतिवादियों के अधिकारियों से मिला और उनसे मेरिट के आधार पर उसे प्रवेश देने का अनुरोध किया। तथापि, उन्हें सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 30 जुलाई 2005 को मेरिट सूची तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था।

d) कि ओ.बी.सी. श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने 257 अंक प्राप्त किए थे और सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने 267 अंक प्राप्त किए थे, उन्हें प्रवेश दे दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रस्तुत याचिका के निर्णय हेतु जो संक्षिप्त प्रश्न विचाराधीन है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो कि मेरिट के आधार पर अन्यथा प्रवेश के लिए पात्र था, को केवल इस आधार पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है कि उसने विज्ञापन परिशिष्ट पी/1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं की।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **डॉली छंदा बनाम अध्यक्ष, जे.ई.ई. एवं अन्य (2004 AIR SCW 5699) तथा कल्पना मिश्रा (कु.) बनाम प्राचार्य, के.आर.जी. कॉलेज (1994(1) M.P.W.N. शॉर्ट नोट 86)** के निर्णयों का आश्रय लिया है। वहीं, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने **कर्नाटक लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम बी.एम. विजय शंकर एवं अन्य (AIR 1992 SC 952), बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम केरल उच्च न्यायालय (AIR 2004 SC 2227), तथा एन.के. प्रसाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य (AIR 2004 SC 2538)** के निर्णयों पर अपना विश्वास प्रकट किया है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **डॉली छंदा बनाम अध्यक्ष, जेईई और अन्य** (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया है कि सामान्य नियम यह है कि किसी भी पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समय, एक व्यक्ति को उस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर आवश्यक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसा कि प्रवेश विवरणिका या आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो,

इस संबंध में कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। तथापि, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ लचीलापन हो सकता है और इसमें किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है। प्रत्येक नियम उल्लंघन जो प्रमाण प्रस्तुत करने से संबंधित है, आवश्यक रूप से उम्मीदवारिता को अस्वीकार करने का परिणाम नहीं होगा। आगे तर्क दिया गया है कि उपरोक्त उद्धृत निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 20 और 24 का भी उल्लेख किया गया है, जो **एआईआर 1980 एससी 1230 में चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य** के मामले में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या उम्मीदवार ने प्रवेश के लिए आवेदन करते समय आवश्यक योग्यता प्राप्त की थी और आमतौर पर इस तरह की योग्यता के लिए प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, आवेदन के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना द्वितीयक है तथा जो आवश्यक है वह यह है कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और यदि उम्मीदवार स्थिति को अटल रूप से दर्शा सकता है कि उसके पास पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय आवश्यक योग्यता थी, तो उसे केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने प्रमाण कुछ दिन बाद लेकिन चयन से पहले प्रस्तुत किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अपने तर्कों के समर्थन में कल्पना मिश्रा (पूर्वोक्त) मामले पर भरोसा करते हुए, आगे यह तर्क दिया गया है कि योग्य उम्मीदवारों को केवल कक्षा 10 वीं के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन न करने के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है, विशेषकर जब प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में दिए गए प्रावधान अस्पष्ट हो तथा इस संबंध में स्पष्ट नहीं हो।

15. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (पूर्वक्रित) के निर्णय पर आश्रय लेते हुए यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा कक्षा 10 वीं का आवश्यक आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर उसकी आवेदन–पत्र पर विचार न करने की प्रतिवादियों की कार्यवाही को मनमाना नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (पूर्वक्रित) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी आश्रय लेते हुए यह तर्क दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस मामले में अक्षरशः लागू नहीं होते, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन, परिशिष्ट पी/1 में उल्लिखित विवरणानुसार, सभी पहलुओं में पूर्ण नहीं था। अतः याचिकाकर्ता यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसके आवेदन को अस्वीकार किए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने अपने इस तर्क के समर्थन में एन.के. प्रसाद (पूर्वक्रित) मामले में पारित निर्णय पर भी आश्रय लिया।

16. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं विधिक तर्कों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है कि याचिकाकर्ता, जिसने पात्रता परीक्षा में 262 अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश की

तिथि को प्रवेश हेतु पात्र था; उसने अपने आवेदन पत्र में तथा परिशिष्ट पी/10 के हलफनामे में अपनी जन्मतिथि 27 सितम्बर 1986 अंकित की थी; कि परिशिष्ट पी/1 के विज्ञापन के अनुसार मैट्रिक/हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्रों को आयु प्रमाणपत्र के रूप में उल्लिखित किया गया था; कि उक्त विज्ञापन में दिए गए नोट के अनुसार मूल प्रमाणपत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं था, बल्कि उन्हें काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना था; कि याचिकाकर्ता ने ₹4,300/- का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 06 अगस्त 2005 को बनवाया था और वह दिनांक 17 अगस्त 2005 को काउंसलिंग की तिथि को अधिकारियों से संपर्क में आया था; तथापि, उसे काउंसलिंग हेतु कॉल लेटर नहीं भेजा गया क्योंकि उसका आवेदन पहले ही 30 जुलाई 2005 को जांच के समय अस्वीकार कर दिया गया था; और उत्तरदातागणने इस तथ्य को भी विवादित नहीं किया कि ओ.बी.सी. श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 257 अंक प्राप्त किए थे, उन्हें उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।

17. उत्तरदाताओ की ओर से प्रस्तुत एन.के. प्रसाद (पूर्वक्रित) प्रकरण में दिए गए निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं तथा इन्हें किसी कठोर और निश्चित रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (पूर्वक्रित) प्रकरण में यह निर्णय दिया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग किसी विधिक उपबंध अथवा वैधानिक नियम के अधीन हो सकता है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता, जो कि मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु अन्यथा पात्र था, को केवल इस तकनीकी आधार पर प्रारंभिक स्तर पर जांच के दौरान प्रवेश से वंचित कर दिया गया कि उसने कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया, जबकि उसने अपने शपथ-पत्र एवं आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख किया था, जिसे काउंसलिंग के समय सत्यापित किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहाँ तक कर्नाटक लोक सेवा आयोग (पूर्वक्रित) प्रकरण में दिए गए निर्णय का प्रश्न है, तो वह मामले के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं, क्योंकि उक्त मामले में यह निर्देश था कि उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर निर्धारित स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रोल नंबर न लिखा जाए, जिसका उल्लंघन हुआ था। उक्त निर्देश का उद्देश्य परीक्षार्थी की पहचान को गोपनीय रखना था, जो कि उद्देश्य से सीधे तौर पर संबंधित था। किन्तु वर्तमान प्रकरण में यदि याचिकाकर्ता को काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता और वह वहां आवश्यक आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो उसके नाम पर विचार नहीं किया जाता, जिससे किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई हानि नहीं होती।

19. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कल्पना मिश्रा (पूर्वक्रित) एवं डॉली छंदा (पूर्वक्रित) प्रकरणों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत, जिन पर ऊपर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, वर्तमान प्रकरण में लागू होते हैं।

20. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त विचार–विमर्श के आधार पर, यह याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करें। यदि सभी सीटें भर चुकी हों, तो याचिकाकर्ता हेतु एक अतिरिक्त सीट सृजित की जाए। हालांकि, व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोग हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णयों का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयताएं दी जाएगी।

Translated By: Ms. ELIZA GUPTA

LL.B, LL.M

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टिप्पणी:

मैं, एलिज़ा गुप्ता, अधिवक्ता, उपरोक्त निर्णय का हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद पूर्ण सावधानीपूर्वक एवं सत्यनिष्ठा से किया है। यह अनुवाद मूल दस्तावेज़ के अनुरूप, शुद्ध, पूर्ण एवं सही है तथा विधिक प्रक्रिया के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

दिनांक: 02.06.2025

स्थान: दिल्ली

हस्ताक्षर:

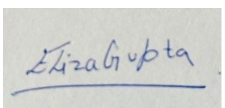

(एलिज़ा गुप्ता)

अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

I have ensured compliance with all procedural guidelines, including those published on the official website of the High Court. For terminology reference, the official legal glossary has been followed.

Translated By: Ms. ELIZA GUPTA

LL.B, LL.M

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur